न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–121/2025

प्रार्थीः–

रमेशकुमार पुत्र हुक्माराम जाति कुम्हार निवासी दरबला तहसील सिवाना जिला बालोतरा राज.।

बनाम

विप्रार्थीः–

01. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
02. अशोक कुमार पुत्र हुक्माराज जाति कुम्हार निवासी दरबला तहसील सिवाना जिला बालोतरा राज.।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री कैलाशपुरी गोस्वामी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30.03.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.रा.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 106 (पूर्व खसरा संख्या 135) रकबा 2.7089 (पूर्व रकबा 2.6871) हैक्टेयर भूमि ग्राम दरबला तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम ''उमेशकुमार पुत्र हुक्माराम'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस में प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम ''रमेश कुमार पुत्र हुकमाराम'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रस्तुत किये।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''रमेश कुमार पुत्र हुकमाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 106 (पूर्व खसरा संख्या 135) रकबा 2.7089 (पूर्व रकबा 2.6871) हैक्टेयर भूमि ग्राम दरबला तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम ''उमेशकुमार पुत्र हुक्माराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''रमेश कुमार पुत्र हुकमाराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''उमेशकुमार पुत्र हुक्माराम'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''रमेश कुमार पुत्र हुकमाराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 106 (पूर्व खसरा संख्या 135) रकबा 2.7089 (पूर्व रकबा 2.6871) हैक्टेयर भूमि ग्राम दरबला तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''उमेशकुमार पुत्र हुक्माराम'' के स्थान पर ''रमेश कुमार उर्फ उमेशकुमार पुत्र हुकमाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)